20/12/2017 [illegible] मंडल ने आज न्यायालय में उपस्थिति [illegible] का निर्णय लिया, [illegible] पक्षी इत्तला होकर पत्रावली दिनांक 09/01/2018 को पेश हो।

9.1.2018 वकुलाय उपस्थित।
बहस हेतु पत्रावली दि० 10.1.2018 को पेश हो।

अति० जिला कलक्टर, पाली

10/1/2018 वकुलाय उपस्थित।
बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दि० 25/1/2018 को पेश हो।

25/1/2018 वकुलाय उपस्थित।
दीगर राजकीय कार्यों में व्यस्तता के कारण निर्णय नहीं लिखाया जा सका। अतः मजीद बहस हेतु पत्रा. दि. 14/2/2018 को पेश हो।

14.02.2018 वकुलाय उपस्थित।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा बिना प्रक्रिया की पालना किए पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज किया जावे। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि यदि निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण ग्राम पंचातय को पुनः सुनवाई हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है, तो उन्हे कोई आपत्ति नहीं है।

बहस पर मनन किया तथा दस्तावेजात का अवलोकन किया। जैर निगरानी पट्टे की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदक द्वारा अपनी खरीदसुदा भूमि का पट्टा जारी करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए ग्राम सेवक से नक्शा तैयार करवाया गया। तीन पंचों की मौका रिपोर्ट तलब की गई। आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। गवाहो के बयान कलमबद्ध किए गए। किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं होने पर नियम 266 (क) के तहत पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। प्रार्थी द्वारा अपनी निगरानी में ऐसा कोई तथ्य अंकित नहीं किए है, जिससे यह साबित होता हो कि ग्राम पंचायत द्वारा विधि में प्रदत्त प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया हो। लिहाजा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

अति. जिला कलक्टर, पाली

अति० जिला कलक्टर, पाली